न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 33/2021(41/2018) नामान्तरकरण अपील

1. रूपनारायण उम्र 79 वर्ष पुत्र पांच्या उर्फ पांचूराम जाति माली निवासी बसवा महादेव वाली ढाणी तहसील बसवा जिला दौसा।

अपीलान्ट्

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र तिलोका } समस्त जाति माली निवासी बसवा पटेलो का बास तहसील
2. शिवलाल पुत्र तिलोका } बसवा जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।
4. नत्था पुत्र टेका(फौत)

4/1 कल्ली पत्नि स्व. श्री नत्था
4/2 दुलीचन्द पुत्र स्व. श्री नत्था
4/3 श्रवण पुत्र स्व. श्री नत्था
4/4 काली पुत्र स्व. श्री नत्था
4/5 घनश्याम पुत्र स्व. श्री नत्था
4/6 सुनीता पुत्री स्व. श्री नत्था
4/7 धन्नालाल पुत्र स्व. मनोहरलाल पुत्र स्व. श्री नत्था
4/8 मनीष पुत्र स्व. मनोहरलाल पुत्र स्व. श्री नत्था

5. कम्पूरी पत्नि कालूराम } समस्त जाति माली निवासी बसवा महादेव वाली ढाणी
6. सुभाष पुत्र कालूराम } तहसील बसवा जिला दौसा।
7. महेन्द्र पुत्र कालूराम
8. फूलबाई पुत्री कालूराम पत्नि रामकरण } समस्त जाति माली निवासी कैंची वाली ढाणी
9. बिल्लू बाई पुत्री कालूराम पत्नि पूरण } बडियाल कलां तहसील बसवा जिला दौसा।
10. शम्भूदयाल पुत्र लिछमण जाति माली निवासी बसवा महादेव वाली ढाणी तहसील बसवा जिला दौसा

11. प्रभात्या
12. रामस्वरूप
13. डालचन्द
14. रामकरण
15. रामावतार

} पुत्रान बाल्या जाति माली निवासी बसवा पटेलो का बास तहसील बसवा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 19 निर्णय दिनांक 05.08.1955 ग्राम बसवा तहसील बसवा द्वारा नायब तहसीलदार बसवा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति :– 1. श्री सतीश कुमार पारीक अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित ।
2. श्री ऋद्विचन्द शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 26.08.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बसवा तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 2939/1, 2939/2, 2958, 2986, 2993, 2998, 3002, 3099, 3100, 3101 लगा. 3108, 3113, 3119, 3120, 3121/1, 3121/2, 3401, 3402, 3416, 3417, 3422, 3441, 3442, 3452 लगा. 3455, 3481, 3482, 6520, 6529, 6531, 6571, 2551, 2553 कुल किता 39 कुल रकबा 47 बीघा 15 बिस्वा जो कि

साबिक राजस्व रिकॉर्ड में टेका व पांच्या पिसरान श्योबख्स कौम माली के नाम दर्ज थी एवं खतौनी बन्दोबस्त व जमाबन्दी में टेका व पांच्या के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी एवं साबिक खसरा नम्बर 2953 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा टेका, पांच्या पि0 श्योबख्श हिस्सा 1/2 तथा श्योला, बुद्धा, मिश्रया पि0 भीमा हिस्सा 1/2 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही थी। उक्त दोनो भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 7075, 7077, 7102, 7142, 7146 लगा. 7148, 7185, लगा. 7188, 7198, 7200 लगा. 7204, 7219, 7220, 7223 लगा. 7232, 7422/9901, 7423, 7479, 7480, 7513, 7522, 7526, 7529, 7530, 7549, 7550, 9472, 9605, 9618, 9753, 9754 कुल किता 45 कुल रकबा 11.12 है0 तथा खसरा नम्बर 7082 रकबा 0.32 है0 भूप्रबन्ध विभाग द्वारा कायम किये गये। उक्त भूमि 1955 में भी टेका व पांच्या पि0 श्योबख्श कौम माली के नाम 1/2, 1/2 हिस्सेनुसार दर्ज थी। उक्त टेका व पांच्या की मृत्यु हो गई। पांच्या का विधिक उत्तराधिकारी अपीलान्ट पांच्या उर्फ पांचूराम का पुत्र रूपनारायण ही है। किन्तु रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के पिता द्वारा गुपचुप में पांच्या की विरासत में अपीलान्ट के साथ ही स्वयं का नाम भी दर्ज करवा लिया तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 19 में टेका की विरासत तो हिस्सा 1/2 अनुसार लिछमण, बाल्या व नत्था के नाम सही दर्ज कर दी। किन्तु अपीलान्ट के पिता की विरासत अपीलान्ट के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। किन्तु रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के पिता तिलोका द्वारा हिस्सा 1/4 में अपना नाम नामान्तरकरण में प्रविष्ट करवा लिया, जबकि उक्त तिलोका अपीलान्ट का कोई भाई नहीं है तथा पांच्या उर्फ पांचूराम से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु उसके द्वारा गुपचुप में अपने नाम का अंकन करवाकर नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया क्योंकि अपीलान्ट उस समय 16 वर्ष का नाबालिग था तथा अपीलान्ट की माता अनपढ एवं देहाती महिला थी जिसको राजस्व रिकॉर्ड का कोई पता नहीं था। जिसका फायदा उठाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 19 तस्दीक करवा लिया। इसलिये तत्कालीन नायब तहसीलदार बसवा द्वारा खोले गये नामान्तरकरण सं0 19 दिनांक 05.08.1955 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्ट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त विवादित भूमि के हिस्सा 1/2 के खातेदार टेका पुत्र श्योबख्श तथा 1/2 हिस्से का खातेदार अपीलान्ट का पिता पांच्या पुत्र श्योबख्श था तथा जमाबन्दी व खतौनी में उक्त टेका व पांच्या ही बतौर खातेदार दर्ज थे। उक्त दोनो की मृत्यू हो जाने के पश्चात् विरासत का नामान्तरकरण वास्तविक वारिसों के नाम दर्ज किया जाना था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर टेका की विरासत का नामान्तरकरण तो सही दर्ज कर दिया किन्तु पांच्या की विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने में अपीलान्ट जो पांच्या का पुत्र था उसके साथ तिलोका पुत्र नारायण का नाम भी अंकित कर दिया जबकि सिर्फ पुत्र के नाम ही नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बसवा द्वारा उत्तराधिकारी अधिनियम का उल्लंघन कर अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज किया है। विरासत के नामान्तरकरण को दर्ज करने से पूर्व मृतक के वास्तविक वारिसान की जांच किया जाकर शपथ पत्र एवं दस्तावेज लेकर ही कोई कार्यवाही की जा सकती है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई दस्तावेजात लिये व बिना कोई शपथ पत्र लिये अपीलान्ट व अपीलान्ट की मां को कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 19 तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट अपने पिता की मृत्यू के पश्चात् अपनी माता भौरी देवी के साथ रहता था।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उस समय अपीलान्ट नाबालिग था। अपीलान्ट की मां अनपढ देहाती थी एवं मृतक पांच्या के उस समय केवल अपीलान्ट एवं अपीलान्ट की माता भौरी देवी ही वारिस थे। नायब तहसीलदार बसवा द्वारा ना तो कोई सूचना दी गई एव ना ही कोई जांच की गई। केवल मात्र तिलोका पुत्र नारायण के कहने से ही अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज कर दिया। जबकि तिलोका पुत्र नारायण का उक्त भूमि में कोई अधिकार निहित नहीं है, ना ही पांच्या से उसका कोई सम्बन्ध है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बसवा द्वारा गलत तरीके से तिलोका का नाम दर्ज कर दिया। तिलोका पुत्र नारायण की मृत्यू हो जाने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा जालसाजी कर गुपचुप में ही अपने नाम नामान्तरकरण खुलवाकर खातेदारी में अंकन करवा लिया। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति है। राजस्व रिकॉर्ड में नहीं समझता है। अपीलान्ट उक्त भूमि के हिस्सा 1/2 मे जन्मजात से ही काबिज चला आ रहा है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 19 में अवैध अंकन की जानकारी उनको नहीं थी। दिनांक 7.10.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने साथ दो अनभिज्ञ लोगो को लेकर अपीलान्ट की जमीन पर आकर जमीन दिखा रहा था। उस समय अपीलान्ट के पुत्र पूरण ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से पूछा कि तुम यह जमीन किसको दिखा रहे थे तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कहा कि इस जमीन में मेरे और मेरे भाई का 1/2 हिस्से में नाम है, हम इस जमीन को बेचेंगे तो अपीलान्ट के पुत्र पूरण ने कहा कि तुम्हारा इस जमीन से क्या लेना देना है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कहा कि हमारे पिता ने तो पहले ही अपने नाम आधी जमीन लगवा ली। जिस पर अपीलान्ट के पुत्र ने घर आकर अपीलान्ट को बताया तब पटवारी से जानकारी करने पर उक्त अवैध नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को हुई। पूर्व में न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर द्वारा अपील संख्या 20/2019 रूपनारायण बनाम मांगीलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2019 व प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 19 वाके ग्राम बसवा तहसील बसवा जिला दौसा को अपास्त किया गया है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर पांच्या की विरासत में दर्ज रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का नाम हजफ कर पांच्या के हिस्से में अपीलान्ट का नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त विवादग्रस्त भूमि जिसके सम्बन्ध में यह नामान्तरकरण की अपील विचाराधीन है। पैतृक भूमि है जिसमे सम्वत 1984 में टेका, नारायण व पांच्या पिसरान श्योबख्श तीनो बराबर हिस्से के हिस्सेदारान दर्ज रिकॉर्ड थे। नारायण का नाम गलती से विलोपित हो गया। नारायण की मृत्यू सम्वत 2003 से पूर्व हो चुकी थी। तत्समय तिलोका जो कि नारायण का पुत्र था वह पांच वर्ष से कम आयु का अबोध शिशु था एवं अपने चाचा टेका व पांच्या के साथ सम्मिलित में ही रहा करता था। इसी दरम्यान सम्वत 2003 में बन्दोबस्त हो गया तत्समय भी उक्त तिलोका शिशुवस्था में ही था। उक्त टेका व पांच्या ने तिलोका की नाबालिगी का फायदा उठाकर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने दोनो के ही नाम भूमि का पर्चा बनवा लिया। जबकि तिलोका को उक्त भूमि में जन्म से ही अपने पिता के स्थान पर विरासत के तहत अधिकार प्राप्त हो गये थे। सम्वत 2012 आधार वर्ष जिस समय राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रभाव में आया उससे पूर्व ही टेका व पांच्या का भी निधन हो चुका था तथा भूमि पर टेका, पांच्या व तिलोका के वारिसान बहैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त करते लाभान्वित होते चले आ रहे थे। तत्समय ही टिनेन्सी एक्ट के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रावधानो के अनुसार नारायण के वारिस तिलोका के नाम भी भूमि का नामान्तरकरण दर्ज किया गया। जो कानूनन सही है। उक्त नामान्तरकरण को लगभग 65 वर्ष हो जाने के पश्चात् अपीलान्ट ने चुनौती दी है। जो कि एक काफी लम्बे अरसे के पश्चात् चुनौती दी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को विरासतन उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त है तथा 65 वर्ष की लम्बी अवधि से लगातार पूर्व में तिलोका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का पिता व तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इस प्रकार भूमि का जो नामान्तरकरण खोला गया है वह सही खोला गया है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के समक्ष भी एक वाद विचाराधीन है। जिसमे अपीलान्ट पक्षकार है। अपीलान्ट उक्त वाद में अपने समस्त तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष उठा सकते है। उक्त तथ्य व बहस के साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपील को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर द्वारा अपील संख्या 20/2019 रूपनारायण बनाम मांगीलाल वगैरा में निर्णय दिनांक 10.03.2021 पारित कर अपील स्वीकार की गई है एवं प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 19 वाके ग्राम बसवा तहसील बसवा जिला दौसा को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है। प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 19 मृतक खातेदार पांच्या के वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोलने से सम्बन्धित है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया है कि सम्वत 1984 में टेका, नारायण व पांच्या पिसरान श्योबख्श तीनो बराबर हिस्से के हिस्सेदारान दर्ज रिकॉर्ड थे। नारायण का नाम गलती से विलोपित हो गया था। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के खातेदारान एवं मृतक खातेदारान की विरासत के नामान्तरकरण में वारिसान का निर्धारण इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसलिये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर द्वारा अपील संख्या 20/2019 रूपनारायण बनाम मांगीलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 का अवलोकन कर एवं उभयपक्षकारान को सुनवाई व सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर तथा विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं खातेदारान के वारिसान की जॉच कर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा